भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1629
21 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट

1629. श्री धनुष एम. कुमार :
श्री सी.एन. अन्नादुरई :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री गौतम सिगामणि पोन :
श्री जी. सेल्वम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) के कर्मचारी कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा के माध्यम से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में सैन्य कैंटीनों को माल की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और सामानों की आपूर्ति में उक्त कंपनियों के लिए सरकार द्वारा तय किए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सीमित संख्या में सैन्य कैंटीन हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का इन राज्यों में अधिक सैन्य कैंटीन स्थापित करने का विचार है;

(घ) कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सीएसडी कैंटीन घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को बेच रही है और खाद्य पदार्थों के एक बड़े प्रतिशत की जांच नहीं की गई है और कुछ वस्तु समाप्त हुई समयावधि की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार ने हाल ही में इन सीएसडीएस के कामकाज की समीक्षा की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई सहित तत्संबंधी विवरण और परिणाम क्या हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सीएसडी संवर्ग के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं और उनको वेतन रक्षा अनुमान बजट से दिया जाता है अतः वे कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हकदार हैं। सीएसडी कर्मचारियों की संख्या 2141 है।

(ख) : यूआरसी (यूनिट संचालित कैंटीन) के उपभोग पैटर्न के आधार पर सीएसडी प्रधान कार्यालय द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध 436 कंपनियां सामान की आपूर्ति कर रही हैं।

(ग) : तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में यूनिट संचालित कैंटीन पर्याप्त संख्या में हैं। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के अनुरोध पर, जहां भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 5000 से अधिक है, वहां यूनिट संचालित कैंटीन खोली गई हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अतिरिक्त यूआरसी खोलने हेतु सेना मुख्यालय के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) : कैंटीन सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मानदंड सीएस निदेशालय के दिनांक 23 मार्च, 2018 की नीति सं.95350/क्यू/डीडीजीसीएस/नीति/2018 में दिया गया है। मौटे तौर पर, व्यक्तिगत कैंटीन स्मार्ट कार्ड निम्नवत के लिए अधिकृत हैं:-

(i) 5 वर्ष की कायिक सेवा पूरा करने वाले सशस्त्र बल कार्मिक (तटरक्षक सहित)।

(ii) सशस्त्र बल कार्मिक के समान असम राइफल्स और एसएफएफ के सभी रैंक।

(iii) न्यूनतम 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले एपीएस के सभी सेवारत कार्मिक।

(iv) रक्षा सेना प्राक्कलन से पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व डीएससी कार्मिक सहित सभी सेवारत डीएससी कार्मिक।

(v) न्यूनतम 5 वर्ष की कायिक सेवा पूरा करने वाले प्रादेशिक सेना कार्मिक।

(vi) सेवावधि पर ध्यान दिए बगैर रक्षा सेना प्राक्कलन से निःशक्तता पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व जेंटलमैन कैडेट/भूतपूर्व रंगरूट।

(vii) रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन प्राप्त करने वाले सेवारत रक्षा सिविलियन ।

(viii) रक्षा सेवा प्राक्कलन से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त रक्षा सिविलियन और उनके पेंशनभोगी परिवार (केवल ग्रोसरी) ।

(ix) न्यायाधीश और एएफटी का स्टाफ (केवल ग्रोसरी) ।

(x) एनसीसी कार्मिक ।

(xi) रक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान प्राप्त कर रहे सिविल जीटी चालक (केवल ग्रोसरी) ।

(xii) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक (तटरक्षक बल और डीजीबीआर सहित) की वीरनारियां/विधवा/एनओके जो रक्षा सेवा प्राक्कलन से पेंशन प्राप्त करती हैं ।

(xiii) अल्पसेवा अधिकारियों की विधवाएं (केवल वे जो नियुक्ति की शर्तों को पूरा कर चुकी हैं) ।

इसके अतिरिक्त, निम्न श्रेणियों के व्यक्ति भी कैंटीन सुविधा के लिए अधिकृत हैं:-

(i) ईसी अधिकारी/ईसी अधिकारियों की विधवाएं

(ii) प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध की विधवाएं

(iii) रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर सिविलियन स्टाफ

(iv) वैवाहिक मतभेद के मामले ।

(ङ) : सभी खाद्य वस्तुएं एफएसएसएआई से प्रमाणित होती हैं और समय-समय पर कम से कम छह माह में एक बार सैन्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है । इसलिए यूनिट द्वारा संचालित कैंटीन (यूआरसी) में निम्न गुणवत्ता की किसी खाद्य वस्तु की बिक्री नहीं की जाती है ।

(च) : सीएसडी के कामकाज की समय-समय पर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी), सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है और इन समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

*****